


२-३०

“विजनेस पोर्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. सं. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन प्रमाणक
“छत्तीसगढ़/द्वां/09/2007-2009.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69-अ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-97/पुनर्वास नीति/2007.—आदर्श पुनर्वास नीति-07 (यथासंशोधित) की कण्ठका क्रमांक 4.1.5 (क) में वाणिज्यिक तथा औद्योगिक परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन के मामले में भू-अर्जन अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजे के अतिरिक्त इतनी राशि और भुगतान की जाएगी कि, भूमिस्वामी को प्राप्त होने वाली न्यूनतम कुल राशि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

क्र.	आदर्श पुनर्वास नीति-07 यथासंशोधित की कण्ठका क्रमांक 4.1.5 (क) में प्रावधान	आदर्श पुनर्वास नीति-07 यथासंशोधित के प्रावधान में संशोधन
1.	पड़त भूमि हेतु 50 हजार रु. प्रति एकड़	पड़त भूमि हेतु 50 हजार रु. प्रति एकड़ के स्थान पर 6 लाख रु. प्रति एकड़
2.	असिंचित (एक फसली) भूमि हेतु 75 हजार रु. प्रति एकड़.	असिंचित (एक फसली) भूमि हेतु 75 हजार रु. के स्थान पर 8 लाख रु. प्रति एकड़.
3.	सिंचित (दो फसली) भूमि हेतु 1 लाख रु. प्रति एकड़	सिंचित (दो फसली) भूमि हेतु 1 लाख रु. के स्थान पर 10 लाख रु. प्रति एकड़.

Raipur, the 19th March 2010

NOTIFICATION

क्रमांक एफ 7-97/पुनर्वास नीति/2007.—Para 4.1.5 of Ideal Rehabilitation Policy-07 (as amended) in case of Land acquisition for Commercial and Industrial projects regarding compensation to Land owners, following changes have been made :—

S.No.	Provision of Para 4.1.5 (a) of Ideal Rehabilitation Policy-07 as (amended)	Amendment in Provision of Para 4.1.5 (a) of Ideal Rehabilitation Policy-07 as (amended)
1.	Provision for barren land Rs. 50 Thousand per acre.	In the provision for barren land Rs. 50 Thousand per acre replace 6 Lakh per acre.
2.	Provision for Non Irrigated (Single Crop) Rs. 75 Thousand per acre.	In the provision for Non Irrigated (Single Crop) Rs. 75 Thousand per acre replace 8 Lakh per acre.
3.	Provision for Irrigated (Double Crop) Rs. 1 Lakh per acre.	In the provision for Irrigated (Double Crop) Rs. 1 Lakh per acre replace 10 Lakh per acre.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव,